

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Fish- A (3)-2/2015-III dated 19/05/2020 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FISHERIES**

No. Fish-A(3)-2/2015-III

Dated Shimla-2,

19th May, 2020

NOTIFICATION

Whereas, the draft Himachal Pradesh Fisheries Rules, 2019, were published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 23rd August, 2019, for inviting objection(s) and suggestion(s) from the general public through the Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh, Bilaspur-174001 within 30 days, vide this Department Notification No. Fish-A (3)-2/2015-II, dated 23rd July, 2019, as required under section 3 of the Himachal Pradesh, Fisheries Act, 1976 (Act No. 16 of 1976).

And whereas, no objection (s)/suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (Act No. 16 of 1976), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, 2020, namely:-

- 1. Short title and commencement** (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries Rules 2020.
(ii) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra/e-Gazette of Himachal Pradesh.
- 2. Definition.-** In these rules, unless the context otherwise requires ,-
 - (a) 'Act' means the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976(No. 16 of 1976);
 - (b) 'Beat' means the area demarcated for fishing under these rules;
 - (c) 'Director' means the Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh or any one who may be authorized by the State Government in this behalf;
 - (d) 'General Waters' shall be those stretches of rivers or streams which are not 'trout waters' and which have been defined under rule 3(A);
 - (e) 'landing centre' means the place fixed by the Director or any other officer authorized by him where all fish caught shall be collected;
 - (f) 'license' means the license granted under these rules;
 - (g) 'person' shall also include a Co-operative Society of fishermen;
 - (h) 'Schedule' means the Schedule appended to these rules;

- (i) 'Trout Waters' shall mean those stretches of rivers or streams where trout fish is being developed as defined under rule 3 (B);
- (j) 'Year' shall mean financial year; and
- (k) 'State' means the State of Himachal Pradesh.

3. Declaration of water not being private water to which all or any of the rules shall apply.- The following waters are hereby declared not being private waters to which all or any of the rules as according to their respective provisions shall apply,-

(A) General waters :

- (i) River Jamuna and its tributaries including Markanda and Roon stream excluding Trout Waters.
- (ii) River Satluj and its tributaries excluding Trout Waters.
- (iii) River Ravi and its tributaries excluding Trout Waters.
- (iv) River Beas and its tributaries excluding Trout Waters.
- (v) River Chenab and its tributaries excluding Trout Waters.
- (vi) All lakes/ ponds owned by the Government.
- (vii) Balancing reservoir at Sundernagar and the canal feeding balancing reservoir.

(B) Trout waters:

- (i) River Pabbar from village Mahla to village Hatkoti in Shimla District in Jamuna river stream.
- (ii) River Beas and its tributaries from its source to its confluence with Sarvari streams in Kullu District including Sarvari stream.
- (iii) Parvati and Gadsa streams and their tributaries in Kullu District.
- (iv) Sainj and its tributaries in Kullu District.
- (v) Tirthan streams and its tributaries above its confluence with river Beas in Kullu and Mandi District.
- (vi) River Uhl and its tributaries in Mandi and Kangra District including balancing reservoir and feeder channels at Barot.
- (vii) Entire Bhandal Nallah and its tributaries up streams Chakoli bridge in Chamba District.
- (viii) River Baspa, Bhaba streams and Chisso stream in Satluj river stream in Kinnaur District.
- (ix) Neugal stream and its tributaries up streams Mainjha bridge and 10 kms stretch of Baner Khad up stream suspension bridge at Tikker Doli in Kangra District.

(x) Kurpan stream and its tributaries in Satluj river system in Kullu District.

(C) **Reservoirs:**

(i) **Gobind Sagar Reservoir:**

Impoundment formed by Bhakra Dam up to a level of 1680 R.L. in Bilaspur, Una Districts of Himachal Pradesh and it shall be divided into eight beats as below,-

- | | |
|----------------------|--|
| BEAT NO. I | From the inception of the reservoir in Kunkhar Khad to village Raipur on the right bank and village Sharat on the left bank. |
| BEAT NO. II | From village Raipur on the right bank and village Sharat on the left bank to village Bhakra on the left bank and village Bramni on the right bank. |
| BEAT NO. III | From village Bhakra on the left bank and village Bramni on the right bank to village Nakrana on the left bank and village Charanaru on the right bank. |
| BEAT NO. IV | From village Nakrana on the left bank and village Charanaru on the right bank to village Osal on the left bank and village Nansar on the right bank excluding the spread of reservoir in Seer khad beyond village Seri on the right bank and village Badoh on the left bank. |
| BEAT NO. V | From inception of reservoir in Seer khad to village Seri on the left bank and village Badoh on the right bank. |
| BEAT NO. VI | From village Osal on the left bank and village Nansar on the right bank to Nala-Ka-Naun on the left bank and village Kasnaur on the right bank including spread of reservoir in Gambhar and Gambhrola Khad. |
| BEAT NO. VII | From Nala-Ka-Naun on the left bank and village Kasnaur on the right bank to village Kunger-Hatti on the right bank including spread of reservoir in the Ali khad |
| BEAT NO. VIII | From village Kunger-Hatti on the left bank and village Bari Daulan on the right bank to inception of reservoir in river Satluj including spread of reservoir in Alsad Khad |

(ii) Pong Reservoir:

Impoundment formed by Pong Dam up to a level of R.L. 1410 in Kangra District of Himachal Pradesh and it shall be divided into nine Beats as below,-

- BEAT NO. I** From the inception of the Dam at Ghamroor and village Chalwara on the right bank to the village Rail on the left bank and village Harsar on right bank.
- BEAT NO. II** From village Bari Kianpur on the left bank and village Chalwara on the right bank to the village Rail on the left bank and village Harsar on right bank.
- BEAT NO. III** From village Rail on the left bank and village Harsar on right bank to village Ogarhala on the left bank and village Jarot on the right bank.
- BEAT NO. IV** From village Ogarhala on the left bank and village Jarot on the right bank to village Rorikori on the left bank and village Nandpur bangoli on the right bank.
- BEAT NO. V** From village Rorikori on the left bank and village Nandpur Bangoli on the right bank to village Janmbal on the left bank and village Kohli-Balta and Khairain on the right bank.
- BEAT NO. VI** From village Janmbal on the left bank and village Kohli-Balta and Khairain on the right bank to village Bassi on the left bank and village Bari on the right bank.
- BEAT NO. VII** From village Bassi on the left bank and village Bari on the right bank to Dehra bridge on both banks.
- BEAT NO. VIII** From Dehra bridge on both banks to Chamba Pattan on both banks.
- BEAT NO. IX** **Sathana Balancing Reservoir:**
Impoundment formed as a result of Shah Nahar Barrage across the river Beas in Kangra District below Pong Dam starting from village Muhal Bhanath to village Muhal Beli on the left side and from village Muhal Van Balhun to village Muhal Brar on the right side.

(iii) Pandoh Reservoir:

Impoundment formed by Pandoh Dam on River Beas up to level of R.L. 2940 in Mandi district.

(iv) Chamera Reservoir:

Impoundment formed by Chamera Dam up to a level of 763.16 m in Chamba district of Himachal Pradesh and it shall be divided in to three beats as under,-

BEAT NO. I From village Rajpur (Shalimar) on the right bank of river Ravi and village Udaipur Khas on the left bank to village Manot on the right bank and village Dharmari on the left bank.

BEAT NO. II From village Dudun (Gharat Nalla) on the right bank of river Siul to village Kandla on the left bank and village Dhapyara Bargral on the right bank to village Ukal (Palai) on the left bank.

BEAT NO. III From village DhapyaraBargral on the right bank of river Suel to village Ukal (Palai) on the left bank and village Manot on the right bank of river Ravi to village Dharmari on the left bank of river Ravi.

(v) Ranjeet Sagar Reservoir:

Impoundment formed by Ranjeet Sagar Dam (Thein Dam) in the area falling in Chamba District of Himachal Pradesh and it shall be divided into only one beat as under,-

BEAT From the revenue Village Chonka to Khairi, Lahri, Sandhara, Siharu, Chuhan and Bihnu.

(vi) Kol Dam Reservoir:

Impoundment formed by Kol Dam upto a level of 646 M in the area falling in District of Bilaspur, Shimla, Solan and Mandi of Himachal Pradesh and it shall be divided into following three beats,-

BEAT NO. I From Village Chamyan on the left bank of reservoir and village Kyan on the right bank of reservoir to village Padyar on left bank and village Ahan on right bank.

BEAT NO. II From Village Padyar on the left bank of reservoir and village Ahan on right bank to village Annu on left bank and village Karangal on right

bank.

BEAT NO. III

From Village Annu on left bank of reservoir and village Karangal on right bank to village Makarchha on left bank and village shakra on right bank.

4. Fishing methods and mode of use.- Notwithstanding anything contained in these rules and subject to provision of rules 5 and 6 fishing methods permitted for fishing in water declared not to be private water shall be as per column 3 of the Schedule:

Provided that fishing by Chips and Barpatta shall be allowed only on the basis of local customs and customary rights accrued to bonafide fishermen who hold a general fishing license.

5. Grant of licenses for fishing, fee payable thereof.-

- (1) No person shall fish in water declared not being private waters except under a license.
- (2) The license for fishing shall be issued by the Director or any officer authorized by him/her in this behalf subject to these rules and the license so issued shall only be valid subject to fulfillment of these rules and the conditions prescribed in these rules.
- (3) The license shall be issued on the Form No. FSH -1 annexed to these rules.
- (4) The license shall be issued only on receipt of payment of fee as per column 5 of the Schedule. "Amount of royalty fee shall be payable in advance as per the procedure laid down by the Director".
- (5) In case license granted under these rules is lost or destroyed, the duplicate license shall be issued on payment of Rs. 10/-

6. Conditions for issuance of license.- The license for fishing shall be issued under following conditions namely :-

- (a) The license shall be valid only for the class of water, fishing method and period for which it has been issued;
- (b) the license is not transferable;
- (c) no person including licensee shall be allowed to fish in river and streams within 100 Mtrs from any bridge across that, provided that this sub-rule shall not apply to those who hold license for fishing rod and line or hand line or long line;
- (d) licensee shall be bound to show his license to any person empowered under section 8 of the Act to arrest without warrant for offences under the **rule of** Act;

- (e) the competent authority for issuing the license may cancel the license so issued for breach of any provision of these rules or the Act; and
- (f) it will be a condition of Gill net license that licensee shall fish for a minimum period of 25 days in a month. Failing to do so without cogent reasons, the license shall be liable to be cancelled. This shall also be sufficient reason to deny such licensee a license for the ensuing year.

7. Prohibiting fishing by gun spear, bow arrow or like instruments or pollution of water by trade effluent .- Destruction or attempt to destroy fish by gun, spear, bow and arrow or like instruments or pollution of water by trade effluent “or by use of phai, jhatka or any other method not defined in the Schedule” shall be prohibited.

8. Prohibiting fishing etc. in prescribed season and specified waters :-

- (1) No person shall be allowed to fish during the period prescribed in column 7 of the Schedule in respect of water prescribed under column 2 of the Schedule.
- (2) No person shall be allowed to fish in any stretch of river/ streams prescribed under column 8 of the Schedule in respect of water prescribed under column 2 of the Schedule.

9. Minimum size or weight of fish allowed to be killed .- (1) No licensee shall catch or kill or sell any of the following fish which is less than the size shown against each species, separately:-

(a)	Mahseer (<i>Tor putitora</i>)	50 cms.
(b)	Trout (<i>Salmo trutta fario</i> or <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	40 cms.
(c)	Common Carp (<i>Cyprinus carpio</i>)	30 cms.
(d)	Theila (<i>Catla catla</i>)	45 cms.
(e)	Rohu (<i>Labeo rohita</i>)	40 cms.
(f)	Mori (<i>Cirrhinamrigala</i>)	30 cms.
(g)	Silver carp (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	45 cms.
(h)	Grass carp (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	45 cms.
(i)	Gugli or Saloh (<i>Schizothorax plagiostomus</i> .)	40 cms.
(j)	Singhara (<i>Mystus seenghala</i>)	30 cms.

(2) The fish caught below the size prescribed in sub-rule (1) shall be released back in the water by the licensee.

- 10. Marketing of fish, its transport/ export of fish out side any area.-** (1) All fish caught by any person who has got a license for fishing with gillnet in the water specified as reservoirs under rule 3 (c) of these rules shall be handed over by the licensee to the fishermen Co-operative Society of which he/she is a member and shall be brought to the landing center by that fishermen co-operative society for weightment by representative of State Government and charging fee shall be charged as per rule 5 read with column 5 of the Schedule before its marketing inside or outside the State.
- (2) The sale of fish, so weighed under sub- rule (1) shall be done within and outside the State in consultation with the Director of Fisheries, Himachal Pradesh by the Fisheries Co-operative Societies/ Federation and where no such Federation exists, by the primary fishermen co-operative societies.
- (3) If so required by the Director, the person marketing fish outside the State under this rule shall be bound to sell to the extent of the “25%” of daily catch of fish for sale in the State at rates fixed by the State Government.
- (4)(a) No person shall transport fresh fish or processed fish from the landing center or any other fish production centre to any market for sale except under the pass to be issued by the Director or any person authorized by him/her in this behalf. The route of transport has to be adhered as per pass. The fish being so exported may be examined any time in transit by Director or any person authorized by him/her.
- (b) The pass under rule shall be issued on the Form No. FSH -3 annexed to these rules.
- (c) No person shall import fish into the State for marketing without a valid pass issued by the Director or any other person authorized by him/her in this behalf.
- (5)(a) The Director shall lay down suitable procedure from time to time with a view to carry out the provision of this rule;
- (b) The Director shall have powers to fix the rates at which the fish sold departmentally by the Fisheries Department, shall be sold at various sale centres so defined by him/her in this behalf ;
- (c) The Director or any officer authorized by him/her shall have powers to finalize/ fix the price of fish, at which sale of fish shall be done within the State.

- 11 Seizure, removal of apparatus, forfeiture of fish and confiscation of consignment.-**
- (1) All Fisheries Officers shall have powers to seize and remove any apparatus, erected/ used in contravention of these rules and put the same to auction or store or return to the owner.
 - (2) All Fisheries Officers shall have powers to forfeit the fish caught in contravention of these rules and to dispose of it by auction or sale or restore it to the owner on the merit of the case.
 - (3) All Fisheries Officers shall have powers to confiscate any consignment of fish held or transported in contravention of these rules and to dispose of it by auction or sale or restore it to the owner on the merit of the case.
- 12. Possession of fishing craft and gears with in specified limits.-** No person shall possess fishing crafts or gears with in an area of 3 kms. from periphery of any water declared not being private water unless he/she has got a valid license for fishing with that and all Fisheries Officers shall have power to seize the apparatus and proceed under rule 11.
- 13. Miscellaneous .-** (1) The Director or any officer authorized by him/her shall have powers to fish in any water by any method except those prohibited under the Act, on experimental basis for purpose of research and exploration of fisheries resources.
- (2) The Director or any officer authorized by him/her shall have powers to finalize the sale rate of fish of fishermen Co-operative Society so weighed under sub- rule(1) of rule 10.
 - (3) The adjustment fees on %age of sale in respect of reservoirs under Rule 3 (c) shall be done on fee adjustment bill in Form No. FSH -2 annexed to these Rules.
 - (4) The Director shall prescribe the form to be used for any purpose if not otherwise provided for under these Rules.
- 14. Repeal and savings.-** (1) The Himachal Pradesh fisheries rules, 1979 notified vide notification No. Fish.A(3)-1/77 dated 15th November, 1979 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh are hereby repealed.
- (2) The repeal of the aforesaid rules, shall not affect ,-
 - (a) anything done or action taken, proceeding commenced or continued under aforesaid rules ,-

- (b) any appointment, order, regulation or notification made, issued or given under the provisions of the aforesaid rules shall in so far it is not inconsistent with the provision of these rules be deemed to have been made, issued or given under the provisions of these rules unless and until superseded by any appointment, order or regulation made, issued or given under these rules.

FORM FSH-1 (See rule 5 and Schedule)	FORM FSH-1 (See rule 5 and Schedule)
Form No..... License No.....	Form No..... License No.....
Permission is hereby granted to the person holding this license under the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 2020 to fish in water..... with fishing method..... For the period of..... with effect from..... under the Schedule to the rules..... Name and address of the person Fee paid or adjusted through fee adjustment BILL Rs..... (Rupees.....) Date of payment.....	Permission is hereby granted to the person holding this license under the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 2020 to fish in water..... with fishing method..... For the period of..... with effect from..... under the Schedule to the rules..... Name and address of the person Fee paid or adjusted through fee adjustment BILL Rs..... (Rupees.....) Date of payment.....
Director or any Officer authorised.	Director or any Officer authorised.

Conditions under which the license is issued

1. The license holder shall not catch or kill or sell any fish if the following species are less than the length shown against each.

a)	Mahseer (<i>Tor putitora</i>)	= 50 cms.
b)	Trout (<i>Salmo trutta fario</i> or <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	= 40 cms.
c)	Common Carp (<i>Cyprinus carpio</i>)	= 30 cms.
d)	Theila (<i>Catla catla</i>)	= 45 cms
e)	Rohu (<i>Labeo rohita</i>)	= 40 cms.
f)	Mori (<i>Cirrhina mrigala</i>)	= 30 cms.
g)	Silvercarp (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	= 45 cms
h)	Grass carp (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	= 45 cms.
i)	Gugli or Saloh (<i>Schizphorax plagiostomus</i>)	= 40 cms.
j)	Singhara (<i>Mystus seenghala</i>)	= 30 cms.

Fish caught below the size shown above shall be released back by the licensee.

2. The destruction or attempting to destroy fish by gun, spear, bow and arrow and like instruments or pollution of waters by trade effluent or by use of phai, jhatka or any other methods gear defined in the rules is prohibited.
3. The license holder shall not engage or employ any person to help him/her with his/her fishing gear unless the person so employed is also a license holder.
4. No fishing gear except rod and line shall be used by the license holder in river and streams with in 100 M from any bridge.
5. Every license holder shall be bound to show the license to any person empowered under section 8 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (Act No.16 of 1976).
6. The license is not transferable.
7. The license holder is bound to report to the Deputy Commissioner or any Fisheries Officer or Police Officer, of any breach of rules that comes to his notice.
8. Fishing is not permitted in any water closed to fishing by any rule notified under section 3(1) of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 and described as closed to fishing shown in the Schedule.
9. No trout shall be caught by any person during the period from 1st November to last day of February each year. Not more than four trout shall be caught in a day by the license holder.
10. The holder of a trout fishing license shall fill in the following proforma and return to the Director-cum-Warden of Fisheries on expiry of the license.

Date	River/stream/ pool or place	Detail of catch		Remarks
		No of Trout caught	Wt. of Trout caught	

FSH-2

(SEE RULE 13(3))

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
“FISHERIES DEPARTMENT”**

FEE ADJUSTMENT BILL

Book No..... Bill No.....

Name of the Fish Landing Centre.....

Date..... Name of Fish Co-Operative Society

Details of fish caught

Fish Variety					Total
Weight					
Rate of fee					
Fee amount					
Balance of fee					
Fee deposited today					
Total					

Challan No.....dated.....vide which royalty is deposited into try.

Total Amount of fee in balance.

Today's fee adjustment.

Balance fee after day's adjustment.

Signature of the Contractor or his/her representative	Signature of president of society or his /her representative.	Signature of employees who weighed the fish	Signature of Incharge of Centre with Designation.
--	--	--	--

Agency appointed.

FSH-3

(SEE RULE 10(4)(b))

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
“FISHERIES DEPARTMENT”**

PASS

Book No.....Pass No.....

With reference to Fee Adjustment Bill No.

Date.....Shri.....

Resident of

is hereby permitted to transfer

to.....(Weight of fish)

from.....to.....via.....The details of fish are given below:-

Fish Variety	Total No	Total weight
i)		
ii)		
iii)		
iv)		
Total No. of Fishes	Total Weight	

**Signature of the In-charge Fish
Landing Center with Designation.**

Schedule

CLASSIFICATION OF LICENSES (SEE RULES 3,4,5(2)(4),6, and 8)

Sr. No	Kind of water (see rule 3)	Permitted fishing method (see rule 4)	License valid for (Rule 6 & 8)		License fee: (See rule 5)	Close-season: (See rule 8 (1))	Closed area for fishing (See rule 8 (2))
			Period	Jurisdiction			
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
1.	GENERAL WATER as per rule- 3 (a) (i) to (vii)	(i) Rod and Line and Handline	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is stream wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire State	Rs. 100/- daily or Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	16th June to 15th August each year both days inclusive.	(a) KANGRA DISTRICT i) From the inception of river Machhiali in Palampur Tehsil or to it's confluence with HulkuNalla. ii) one hundred metres above and two hundred metres below bridge on Punnkhad in Palampur Tehsil on PathankotMandi Road. iii) From the back of SandharAal of Khaulikhad in Kangra Tehsil to Narti Machhial (Tikka mal) and up streams of Machhial and
		(ii) Cast Net	Yearly	District	Rs.200/-	16th June to 15th August each year both days inclusive.	
		(iii) Chips	Yearly 1st Sep. to 30th Nov.	Specified area of KangraDistt.	Rs. 2000/-	16th June to 15th August each year both days inclusive.	

		(iv) Barpata	Yearly 1st Sep. to 30th Nov.	Specified area of KangraDistt.	Rs. 2000/-	16th June to 15th August each year both days inclusive.	<p>Cho which meet the road.</p> <p>iv) From SaptailAal to MamtaMachhial in Jugalkhad in Kangra District.</p> <p>v) 150 mtrs both banks of river Beas (50 mtrs above and 100 mtrs downwards) near Cremation ground to Kali NathMandir situated at Kalashwar.</p> <p>vi) Ralian Di Aal and its surrounding area in Khasra No. 111/1(17 Kanal 11 marla portion) in TikkaPaddar village Jadrangal in Kangra Tehsil.</p> <p>vii) 50 mtrs above and 100 mtrs below the suspension bridge near Kangra Mandi Railway station on Kangra Tanda Road.</p> <p>(viii) From Chobu Aal to Bhedu Aal near Bhedu</p>
--	--	---------------------	---	---	-------------------	--	---

						<p>Mahadev Mandir in Neugal Khad situated in Khasra No. 963 measuring 02-86-27 hectare Mohal Maruhoon Mauza Mundi, Tehsil Dheera, District Kangra, Himachal Pradesh.</p> <p>(b) UNA DISTRICT</p> <p>(i) From the Panjghratla bridge near Bhanaur village upto Raghwa valley above Gharats in Una District.</p> <p>(c) KULLU DISTRICT</p> <p>(i) Mohal Khad in general waters of Kullu district.</p> <p>(ii) Sirir Khad in Trout Waters of Kullu District.</p> <p>(d) MANDI DISTRICT</p> <p>(i) River Beas from Sikh Gurdwara paddal upto its confluence with Suketi nallah.</p> <p>(ii) Suketi streams from Suketi bridge in Mandi</p>
--	--	--	--	--	--	---

							<p>Town upto its confluence with river Beas.</p> <p>(iii) Rana khad from village Monoh up to village Bhararu.</p> <p>(iv) Rewalsar lake.</p> <p>(e) SIRMOUR DISTRICT</p> <p>(i) Renuka lake</p>
2.	TROUT WATERS as per rule 3 (B) (i) to (x)	Artificial baits (both spoon and fly)	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is stream wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire State	Rs. 300/- daily or Rs. 1800/- weekly or Rs. 7200/- monthly or Rs. 33000/- yearly	1st November to last of the February of each year.	
3.	GOBIND SAGAR RESERVOIR as per rule 3 (C) (i)	(i) Gill net of size 80 mtrs long and 5 to 8 mtrs depth with minimum mesh of 5 cms from (knot to knot)	1st April or date of issue to 31st March	Beat wise	Rs. 100/- plus 15% of sale proceeds of fish by the Fish Cooperative Society at landing centre.	16th June to 15th August each year both days inclusive.	1.500 Kms upstream of the dam Body.

		(ii) Rod and Line	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is beat wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire reservoir	Rs. 100/- daily Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	
4.	PONG RESERVOIR as per rule 3 (C) (ii)	(i) Gill net of size 80 mtrs long and 5 to 8 mtrs depth with minimum mesh of 5 cms from (knot to knot)	1st April or date of issue to 31st March	Beat wise	Rs. 100/- plus 15% of sale proceeds of fish by the Fish Cooperative Society at landing centre.	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	1.500 Kms upstream of the dam Body.
		(ii) Rod and Line	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is beat wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire reservoir	Rs. 100/- daily Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	
5.	PANDOH	Rod and Line,	Daily or	Daily or	Rs. 100/- daily	1 st November to	

	RESERVOIR as per rule 3 (C) (iii)	artificial baits (both spoon and fly)	weekly or monthly or yearly basis	weekly or monthly or yearly licence is for entire reservoir	Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly	last of the February of each year.	
6.	CHAMERA RESERVOIR as per rule 3 (C) (iv)	(i) Gill Net of size 80 mtrs long and 5 to 8 mtrs deep with minimum mesh size of 5 cms from knot to knot.	1 st April or date of issue to 31 st March	Beat wise	Rs. 100/- plus 15% of sale proceeds of fish by the fish Cooperative Society at landing centre.	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	
		ii) Rod and Line	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is beat wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire reservoir .	Rs. 100/- daily Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	
7	RANJIT SAGAR RESERVOIR as per rule	(i) Gill Net of size 80 mtrs long and 5 to 8 mtrs	1 st April or date of issue to 31 st March	Beat wise	Rs 100/- plus 15% of sale proceeds of fish by the fish	16 th June to 15 th August each year both days inclusive.	

	3 (C) (v)	deep with minimum mesh size of 5 cms from knot to knot.			Cooperative society at landing centre.		
		(ii) Rod and line	Daily or weekly or monthly or yearly basis	Daily licence is beat wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire Reservoir area falling in Himachal Pradesh.	Rs. 100/- daily Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	16th June to 15th August each year both days inclusive.	
8	KOL DAM RESERVOIR as per rule 3 (C) (vi)	(i) Gill net of size 80 mtrs long and 5 to 8 mtrs depth with minimum mesh of 5cms from (knot to knot)	1st April or date of issue to 31st March	Beat wise	Rs. 100/- plus 15% of sale proceeds of fish by the Fish Cooperative societies at the landing centres.	16th June to 15th August each year both days inclusive.	
		(ii) Rod and line	Daily or	Daily licence is	Rs. 100/- daily	16th June to 15th	

		or Hand line	weekly or monthly or yearly basis	beat wise and weekly or monthly or yearly licence is for entire reservoir	Rs. 600/- weekly or Rs. 2400/- monthly or Rs. 11,000/- yearly.	August each year both days inclusive.	
--	--	--------------	---	--	--	---	--

Note: Fishing license fee shall be implemented as per revision issued by Govt. Notification from time to time.

By order,

(Sanjay Gupta)

**Addl. Chief Secretary (Fisheries) to the
Government of Himachal Pradesh
May, 2020.**

Endst. No. Fish-A (3)-2/2015-III,

Dated : Shimla-2,

Copy is forwarded to the following :-

1. The Director-cum-Warden of Fisheries, H.P., Bilaspur- 174001.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
3. Deputy Director of Fisheries (Hq.), Directorate of Fisheries, Bilaspur- 174001.
4. Deputy Director of Fisheries, Trout Farm Patlikuhah, Distt. Kullu, H.P.
5. All the Assistant Director of Fisheries, Himachal Pradesh.
6. Controller, Printing & Stationery, Himachal Pradesh, Shimla for publication in the Rajpatra.

(Urmila Gupta)

**Deputy Secretary (Fisheries) to the
Government of Himachal Pradesh**

हिमाचल प्रदेश सरकार
मत्स्य पालन विभाग

संख्या:फिश-ए(3)-2/2015-III

तारीख शिमला-2,

मई, 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र नियम, 2019 के प्रारूप को, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: फिश-ए (3)-2/2015-II, तारीख 23 जुलाई, 2019 द्वारा, हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर-174001 के माध्यम से तीस दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 23 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया गया था ;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ,—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र नियम, 2020 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र (ई गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं,—इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) “अधिनियम” से, हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) अभिप्रेत है;
 - (ख) “बीट” से इन नियमों के अधीन मत्स्यपालन के लिए सीमांकित क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (ग) “निदेशक” से, निदेशक—एवं— प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (घ) “साधारण जल क्षेत्र” से नदियों या जल धाराओं के वे क्षेत्र होंगे जो ‘ट्राऊट जल क्षेत्र नहीं है और जो नियम 3 (क) में परिभाषित किए गए हैं;
 - (ङ) “अवतरण केन्द्र” से, निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा नियत वह स्थान अभिप्रेत है जहां पकड़ी गई सभी मछलियां एकत्रित की जाएंगी;
 - (च) “अनुज्ञप्ति” से, इन नियमों के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

- (छ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत मछुआरों की एक सहकारी सोसाइटी भी इसमें सम्मिलित होंगी;
- (ज) "अनुसूची" से, इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (झ) "ट्राऊट जल क्षेत्र" से, नदियों और जलधाराओं के वे क्षेत्र होंगे जहां नियम 3 (ख) के अधीन यथापरिभाषित ट्राऊट मछली विकसित की जा रही है;
- (ञ) "वर्ष" से, वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा; और
- (ट) "राज्य" से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ।

3. जल क्षेत्र का निजी जल क्षेत्र न होने की घोषणा जिसके लिए समस्त या कोई नियम लागू होंगे/होगा.—

निम्नलिखित जल स्रोतों को एतद् द्वारा निजी जल क्षेत्र न होना घोषित किया जाना है जिनके लिए समस्त या कोई नियम उनके क्रमिक उपबन्धों के अनुसार लागू होंगे,

(क) साधारण जल क्षेत्र:

- (i) ट्राऊट जल क्षेत्रों को अपवर्जित करके मारकण्डा और रूण जलधाराओं सहित यमुना नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (ii) ट्राऊट जल क्षेत्रों को अपवर्जित करके सतलुज नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (iii) ट्राऊट जल क्षेत्रों को अपवर्जित करके रावी नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (iv) ट्राऊट जल क्षेत्रों को अपवर्जित करके ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (v) ट्राऊट जल क्षेत्रों को अपवर्जित करके चिनाब नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (vi) सरकार के स्वामित्वाधीन समस्त झीलें/तालाब ।
- (vii) सुन्दरनगर में संतुलित जलाशय (बैलंसिग रेजॅरवायर) और संतुलित जलाशय (बैलंसिग रेजॅरवायर) को पोषित करने वाली नहर ।

(ख) ट्राऊट जल क्षेत्र:—

- (i) शिमला जिला में, यमुना नदी जलागम में, गांव महला से गांव हाटकोटी तक पब्वर नदी ।
- (ii) ब्यास नदी और इसकी सहायक नदियां कुल्लू जिला में सरवरी नाला जलधारा सहित इसके स्रोत से सरवरी नाला के साथ इसके संगम तक ।
- (iii) कुल्लू जिला में पार्वती और गड़सा नदियां और इनकी सहायक नदियां ।
- (iv) कुल्लू जिला में सैंज नदी और इसकी सहायक नदियां ।

- (v) कुल्लू और मण्डी जिला में ब्यास नदी के साथ इसके संगम के ऊपर तीर्थन नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (vi) बरोट में संतुलित जलाशय (वैलंसिंग रेजॉरवायर) और पोषित जलमार्गों सहित मण्डी और कांगड़ा जिला में ऊहल नदी और इसकी सहायक नदियां ।
- (vii) चम्बा जिला में चाकोली पुल के नालों पर सम्पूर्ण भण्डाल नाला और इसके सहायक नाले ।
- (viii) किन्नौर जिला में सतलुज नदी में बास्या नदी, भाबा नाले और चिस्सो धाराएं ।
- (ix) कांगड़ा जिला में मैझा पुल के नालों पर न्यूगल नाला और इसके सहायक नाले तथा टिक्कर डोली में सस्पेंशन पुल के नाले पर बनेर खड्ड का दस किलोमीटर का विस्तार क्षेत्र ।
- (x) कुल्लू जिला में सतलुज नदी प्रणाली में कुर्पण धारा और इसकी सहायक धाराएं ।

(ग) जलाशय:-

(i) गोबिंद सागर जलाशय:

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और ऊना जिलों में 1680 आर.एल. के स्तर तक भाखड़ा डैम (बांध) द्वारा बना हुआ अवरुद्ध जलागार और इसे निम्नानुसार आठ बीटों में विभाजित किया जाएगा,—

- | | |
|--------------|--|
| बीट नम्बर 1. | कुन्वर खड्ड में जलाशय के प्रारम्भ से दाहिने किनारे पर रायपुर गांव तक और बाएं किनारे पर शरात गांव तक । |
| बीट नम्बर 2. | दाहिने किनारे पर रायपुर गांव और बाएं किनारे पर शरात गांव से बाएं किनारे पर भाखड़ा गांव और दाएं किनारे पर ब्रामणी गांव तक । |
| बीट नम्बर 3. | बाएं किनारे पर भाखड़ा गांव और दाएं किनारे पर ब्रामणी गांव से बाएं किनारे पर नकराणा गांव और दाएं किनारे पर चारानाडू गांव तक । |
| बीट नम्बर 4. | बाएं किनारे पर नकराणा गांव और दाएं किनारे पर चारानाडू गांव से दाएं किनारे पर गांव सेरी और बाएं किनारे पर गांव बडोह से परे सीर खड्ड में जलाशय के फैलाव को अपवर्जित करते हुए, बाएं किनारे पर ओसल गांव तथा दाएं किनारे पर ननसार गांव तक । |
| बीट नम्बर 5. | सीर खड्ड में जलाशय के प्रारम्भ से बाएं किनारे पर सेरी गांव और दाएं किनारे पर बडोह गांव तक । |
| बीट नम्बर 6. | बाएं किनारे पर ओसल गांव और दाएं किनारे पर ननसार गांव से गम्भर और गम्भरोला खड्ड में जलाशय के फैलाव सहित बाएं |

- किनारे पर नाला-का-नौण तथा दाएं किनारे पर गांव कसनौर तक ।
- बीट नम्बर 7. बाएं किनारे पर नाला-का-नौण तथा दाएं किनारे पर कसनौर गांव से अली खड्ड में जलाशय के फैलाव सहित दाएं किनारे पर गांव कुन्गार-हट्टी गांव तक ।
- बीट नम्बर 8. बाएं किनारे पर कुन्गार-हट्टी गांव और दाएं किनारे पर बेरी दौलां गांव से अलसाड खड्ड में जलाशय के फैलाव सहित सतलुज नदी में जलाशय के प्रारम्भ तक ।

(ii) पौंग जलाशय:-

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में 1410 आर.एल. के स्तर तक पौंग डैम द्वारा बना हुआ अवरुद्ध जलागार और इसे निम्नानुसार नौ बीटों में विभाजित किया जाएगा,-

- बीट नम्बर 1. घमरूर में डैम (बांध) के प्रारम्भ से और दाएं किनारे पर चालवाड़ा गांव से बाएं किनारे पर गांव रैल और दाएं किनारे पर गांव हड़सर तक ।
- बीट नम्बर 2. बाएं किनारे से गांव बाड़ी किआनपुर और दाएं किनारे पर चालवाड़ा गांव से बाएं किनारे पर गांव रैल और दाएं किनारे पर हड़सर गांव तक ।
- बीट नम्बर 3. बाएं किनारे पर गांव रैल और दाएं किनारे पर गांव हड़सर से बाएं किनारे पर गांव ओगरहाला और दाएं किनारे पर जरोट गांव तक ।
- बीट नम्बर 4. बाएं किनारे से गांव ओगरहाला और दाएं किनारे पर गांव जरोट से बाएं किनारे पर गांव रोड़ीकोरी और दाएं किनारे पर नन्दपुर बंगोली गांव तक ।
- बीट नम्बर 5. बाएं किनारे पर गांव रोड़ीकोरी और दाएं किनारे पर गांव नन्दपुर बंगोली से बाएं किनारे पर गांव **जम्बाल** और दाएं किनारे पर कोहली-बाल्टा तथा खैरें गांव तक ।
- बीट नम्बर 6. बाएं किनारे पर गांव **जम्बाल** और दाएं किनारे पर गांव कोहली-बाल्टा तथा **खैरें** से बाएं किनारे पर गांव बस्सी और दाएं किनारे पर गांव बाड़ी तक ।
- बीट नम्बर 7. बाएं किनारे पर गांव बस्सी और दाएं किनारे पर गांव बाड़ी से दोनो किनारों पर देहरा पुल तक ।
- बीट नम्बर 8. दोनो किनारों पर देहरा पुल से दोनो किनारों पर चम्बा पत्तन पुल तक ।
- बीट नम्बर 9. सथाना संतुलित जलाशय (वैलंसिग रेजॉरवायर):
जिला कांगड़ा में पौंगडैम के नीचे ब्यास नदी के आर-पार शाह नहर बाराज के परिणामस्वरूप अवरुद्ध जलागार गांव मुहाल भनाथ से आरम्भ होते हुए बाएं किनारे पर गांव मुहाल बेली तक और गांव मोहाल बलहुन से दायें किनारे गांव मोहाल बरार तक ।

(iii) पण्डोह जलाशय:-

मण्डी जिला में आर.एल. 2940 के स्तर तक ब्यास नदी पर पंडोह डैम द्वारा बना हुआ अवरूद्ध जलागार ।

(iv) चमेरा जलाशय:-

हिमाचल प्रदेश के जिला चम्बा में 763.16 एम के स्तर तक चमेरा डैम द्वारा बना हुआ अवरूद्ध जलागार और इसे निम्न तीन बीटों में विभाजित किया जाएगा,-

बीट नम्बर 1. रावी नदी के दाएं किनारे पर गांव राजपुर (शालीमार) और बायें किनारे पर गांव उदयपुर खास से दायें किनारे पर गांव मनोट और बायें किनारे पर गांव धरमाड़ी तक ।

बीट नम्बर 2. स्थूल नदी के दायें किनारे पर गांव दुदुन (घराट नाला) से बायें किनारे पर गांव कांदला तक और दाएं किनारे पर गांव धपयारा बरगाल से बाएं किनारे पर गांव ऊकाल (पलाई) तक ।

बीट नम्बर 3. स्थूल नदी के दायें किनारे पर गांव धपयारा बरगाल से बाएं किनारे पर गांव ऊकाल (पलाई) तक और रावी नदी के दाएं किनारे पर गांव मनोट से रावी नदी के बाएं किनारे पर गांव धरमाड़ी तक ।

(v) रंजीत सागर जलाशय:-

हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिला में आने वाले क्षेत्र में रंजीत सागर (थीन डैम) द्वारा बना हुआ अवरूद्ध जलाशय और इसे निम्नानुसार एक बीट में विभाजित किया जाएगा,-

बीट राजस्व गांव चोंका से खेरी, लहरी, संधारा, सिहारू, चुहान और बीहनु तक ।

(vi) कोलडैम जलाशय:-

हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर, शिमला, सोलन और मण्डी में आने वाले क्षेत्र में 646 एम के स्तर तक कोल डैम द्वारा बना हुआ अवरूद्ध जलाशय और इसे तीन बीटों में विभाजित किया जाएगा,-

बीट नम्बर 1. जलाशय के बाएं किनारे पर गांव चम्याण और जलाशय के दाएं किनारे पर गांव क्यान से दाएं किनारे पर गांव पड़यार और दाएं किनारे पर गांव आहन तक ।

- बीट नम्बर 2. जलाशय के बाएं किनारे पर गांव पड़यार और दाएं किनारे पर गांव आहन से बाएं पर किनारे गांव अणु और दाएं किनारे पर गांव करंगल तक ।
- बीट नम्बर 3. जलाशय के बाएं किनारे पर गांव अणु और दाएं किनारे पर गांव करंगल से बाएं किनारे पर गांव मकरछा और दाएं किनारे पर गांव शाकरा तक ।
4. **मछली पकड़ने की विधि और उसके उपयोग की पद्धति .-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और नियम 5 और 6 के उपबन्धों के अध्यक्षीन निजी जल क्षेत्र घोषित न किए जाने वाले जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए अनुज्ञात मछली पकड़ने की विधि अनुसूची के स्तम्भ 3 के अनुसार होगी: परन्तु वास्तविक मछुआरों, जो साधारण मछली पकड़ने के अनुज्ञप्ति धारक हों, को केवल स्थानीय रूढ़ियों और उनके प्रोद्भूत रूढ़िजनय अधिकारों के आधार पर चिप्स और बारपटा द्वारा मछली पकड़ना अनुज्ञात किया जाएगा ।
5. **मछलियां पकड़ने के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करना, और उसके लिए संदेय फीस.**

- (1) कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञप्ति के सिवाय किसी जल क्षेत्र को निजी जल क्षेत्र घोषित किए बिना, मछलियां नहीं पकड़ेगा ।
- (2) मछलियां पकड़ने के लिए अनुज्ञप्ति निदेशक या इन नियमों के अध्यक्षीन इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी और इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति केवल इन नियमों और इन नियमों में विहित शर्तों के परिपूर्ण करने के अध्यक्षीन विधिमान्य होगी ।
- (3) अनुज्ञप्ति इन नियमों से संलग्न प्रारूप संख्या:एफ.एस.एच- । पर जारी की जाएगी ।
- (4) अनुज्ञप्ति केवल अनुसूची के स्तम्भ 5 के अनुसार फीस के संदाय की प्राप्ति पर जारी की जाएगी। रॉयलेटी फीस की रकम निदेशक द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम में संदेय होगी ।
- (5) यदि इन नियमों के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति गुम या नष्ट हो जाती है तो द्विप्रतीक अनुज्ञप्ति 10/- रुपए के संदाय पर जारी की जाएगी ।

6. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए शर्तें.-

मछली पकड़ने के लिए अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाएगी, अर्थात:-

- (क) अनुज्ञप्ति, केवल जल क्षेत्र की श्रेणी, मछली पकड़ने की विधि और अवधि, जिसके लिए इसे जारी किया गया है, के लिए विधिमान्य होगी;
- (ख) अनुज्ञप्ति अन्तरणीय नहीं है ;

- (ग) अनुज्ञप्तिधारी सहित किसी भी व्यक्ति को नदी और नालों में किसी पुल के आर पार से 100 मीटर के भीतर मछली पकड़ना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, परन्तु यह उपनियम उनको लागू नहीं होगा जो बंसी और डोरी या हैंड लाइन या लॉग लाइन द्वारा मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति रखते हैं।
- (घ) अनुज्ञप्तिधारी, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार करने के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति को अपनी अनुज्ञप्ति दिखाने के लिए बाध्य होगा;
- (ङ) अनुज्ञप्ति जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार जारी की गई अनुज्ञप्ति को इन नियमों या अधिनियम के किन्हीं उपबन्ध के उल्लंघन के लिए रद्द कर सकेगा;
- (च) गिल नेट अनुज्ञप्ति के लिए यह शर्त होगी कि अनुज्ञप्ति धारी एक मास में कम से कम पच्चीस दिन मछली पकड़ सकेगा । तर्कपूर्ण कारणों के बिना ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने के लिए दायी होगी। ऐसे अनुज्ञप्ति धारी को आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञप्ति से वंचित करने का भी यह पर्याप्त कारण होगा ।
7. **बंदूक, भाले, धनुष, तीर या इस प्रकार के उपकरणों या व्यवसायिक बहिस्त्राव जल प्रदूषण द्वारा मछली पकड़ना प्रतिषिद्ध करना.**— बंदूक, भाले, धनुष, तीर या इस प्रकार के उपकरणों या व्यवसायिक बहिस्त्राव जल प्रदूषण द्वारा या फाई, झटके के उपयोग या कोई अन्य जो अनुसूची में परिभाषित नहीं है, द्वारा मत्स्य के विनाश या नाश करने के प्रयत्न को प्रतिषिद्ध किया जाएगा ।
8. **विहित मौसम और विनिर्दिष्ट जल क्षेत्रों में मछली पकड़ना इत्यादि प्रतिषिद्ध करना.**—(1)
किसी भी व्यक्ति को अनुसूची के स्तम्भ 2 के अधीन विहित जल क्षेत्र की बाबत अनुसूची के स्तम्भ 7 में विहित अवधि के दौरान मछली पकड़ना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (2) किसी भी व्यक्ति को अनुसूची के स्तम्भ 2 के अधीन विहित जल क्षेत्र की बाबत अनुसूची के स्तम्भ 8 के अधीन विहित नदी/ नालों के किसी भूभाग (खण्ड) में मछली पकड़ना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
9. **मारने को अनुज्ञात की जाने वाली मछली का न्यूनतम आकार या भार .-** कोई भी अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित में से किसी भी मछली को, जो पृथक्: प्रत्येक जाति के सामने दर्शाए गए आकार से कम है, पकड़ नहीं सकेगा या उसे मार नहीं सकेगा या उसका विक्रय नहीं कर सकेगा :-

क	महासीर (टोर प्यूटीटोरा)	50 सेंटी मीटर
ख	ट्राऊट (सालमो ट्रूटा फारियों और ऑकोरिंकस मायकिस)	40 सेंटी मीटर
ग	कॉमन कार्प (साइप्रीनस कारपीओं)	30 सेंटी मीटर
घ	थिला (कतला कतला)	45 सेंटी मीटर
ङ	रोहू (लेबिओ रोहिता)	40 सेटी मीटर

च	मोरी (सरिहीना म्रीगाला)	30 सेंटी मीटर
छ	सिलवर कार्प (हाइपोपथेलमीवथीस मोलीट्रीक्स)	45 सेंटी मीटर
ज	ग्रास कार्प (टेनोफारीनगॉडॉन इडेलस)	45 सेंटी मीटर
झ	गुगली और सलोह (सीइजोथोरेक्स प्लाजीओस्टोमस)	40 सेंटी मीटर
ञ	सिंधारा (मीस्टस सिंधाला)	30 सेंटी मीटर

- (2) उप नियम (1) में विहित आकार से कम (छोटी) आकार की पकड़ी गई मछलियां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस जलक्षेत्र में छोड़ दी जाएंगी ।
10. **मछलियों का विपणन, इनका परिवहन व किसी क्षेत्र से बाहर इनका निर्यात.—**
- (1) किसी व्यक्ति, जिसने इन नियमों के नियम 3 (ग) के अधीन जलाशय के रूप में विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र में गिलनेट से मछलियां पकड़ने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त की है, द्वारा पकड़ी गई समस्त मछलियों को, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, मछुआरा सहकारी सभा, जिसका वह सदस्य है, के सुपुर्द की जाएंगी और उन्हें उस मछुआरा सहकारी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि से तुलाई के लिए अवतरण (तुलाई) केन्द्र में लाया जाएगा और राज्य के भीतर या राज्य से बाहर इसके विपणन से पूर्व अनुसूची के स्तम्भ 5 के साथ पठित नियम 5 के अनुसार फीस प्रभारित की जाएगी ।
- (2) उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार तोली गई मछलियों का विक्रय राज्य या राज्य के बाहर, निदेशक मत्स्यपालन हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, मत्स्य सहकारी सभाओं/परिसंघ द्वारा और जहां ऐसा परिसंघ विद्यमान नहीं है, वहां प्रारम्भिक मछुआरा सहकारी सभाओं द्वारा किया जाएगा ।
- (3) यदि निदेशक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो इस नियम के अधीन राज्य के बाहर मछलियों का विपणन करने वाला व्यक्ति राज्य में विक्रय के लिए प्रत्येक दिन पकड़ी गई मछलियों का 25 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर विक्रय करने के लिए आबद्ध होगा ।
- (4)(क) कोई भी व्यक्ति अवतरण (तुलाई) केन्द्र से विक्रय के लिए किसी मण्डी में निदेशक या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जारी किए जाने वाले पास के सिवाय ताजा मछलियों या प्रसंस्कृत मछलियों का परिवहन नहीं करेगा । परिवहन के मार्ग का अनुसरण पास के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार निर्यात की गई मछलियों का पारगमन में किसी भी समय निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जाँच की जा सकेगी ।
- (ख) पास इन नियमों के संलग्न प्ररूप संख्या: एफ:एस:एच— 3 पर जारी किया जाएगा ।
- (ग) कोई भी व्यक्ति निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी विधिमान्य पास के बिना राज्य में विपणन के लिए मछलियों का आयात नहीं करेगा ।

- (5)(क) निदेशक इस नियम के उपबंध को कार्यान्वित करने के दृष्टिगत समय-समय पर उपयुक्त प्रक्रिया अधिकथित करेगा ।
- (ख) निदेशक को मत्स्य विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर विक्रीत की जाने वाली मछलियों की दरें नियत करने की शक्तियाँ होंगी जो उसके द्वारा इस निमित्त इस प्रकार परिनिश्चित विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर बेची जाएंगी ।
- (ग) निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को मछलियों का मूल्य, जिस पर राज्य में मछलियों का विक्रय किया जाना है सुनिश्चित करने/नियत करने की शक्तियाँ होंगी ।
11. **संयन्त्र का अभिग्रहण, हटाया जाना, मछलियों का समपहरण और परेषण का अधिहरण (जब्ती).—**(1) समस्त मत्स्य अधिकारियों को इन नियमों के उल्लंघन में स्थापित/ प्रयुक्त किसी संयंत्र का अभिग्रहण करने और हटाने तथा उसको नीलाम करने या उसका भण्डारण करने या स्वामी को वापस करने की शक्तियाँ होंगी ।
- (2) समस्त मत्स्य अधिकारियों को इन नियमों के उल्लंघन में पकड़ी गई मछलियों का समपहरण करने और इनका नीलामी या विक्रय द्वारा व्ययन करने या मामले के गुणागुण (मेरिट) पर स्वामी को वापस करने की शक्तियाँ होंगी ।
- (3) समस्त मत्स्य अधिकारियों को इन नियमों के उल्लंघन में मछलियों के किए गए किसी परेषण या परिवहन का अधिहरण करने और नीलामी द्वारा या विक्रय द्वारा उनका व्ययन करने या मामले के गुणागुण (मेरिट) पर इन्हें स्वामी को वापस करने की शक्तियाँ होंगी ।
12. **विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मछलियां पकड़ने वाले जलयान और उपस्करों का कब्जा.—**कोई भी व्यक्ति निजी जलक्षेत्र घोषित न किए गए किसी जलक्षेत्र की परिधि से तीन किलो मीटर के किसी क्षेत्र में मछलियां पकड़ने के जलयान या उपस्कर तब तक नहीं रखेगा जब तक कि उसने मछलियां पकड़ने की विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर रखी हो और समस्त मत्स्य अधिकारियों को संयन्त्र का अभिग्रहण करने और नियम 11 के अधीन कार्यवाही करने की शक्ति होगी ।
13. **प्रकीर्ण** (1) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के अधीन उन प्रतिषिद्ध विधियों के सिवाय किसी अन्य विधि द्वारा मछलियां पकड़ने के संसाधनों के अनुसंधान और खोज के प्रयोजन के लिए प्रयोगात्मक आधार पर किसी जल क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने की शक्तियाँ होंगी ।
- (2) निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को मछुआरा सहकारी सभा की नियम 10 के उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार तोली गई मछलियों की विक्रय दर परिनिश्चित करने की शक्तियाँ होंगी ।
- (3) नियम (3)(ग) के अधीन जलाशयों की बाबत विक्रय की प्रतिशतता पर फीस का समायोजन इन नियमों से संलग्न प्ररूप संख्या: एफ.एस.एच.-2 में फीस समायोजन बिल पर किया जाएगा ।
- (4) यदि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं है तो निदेशक किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्ररूप विहित करेगा ।
14. **निरसन और व्यावृत्तियों .—**

- (1) अधिसूचना संख्या: फिश-ए-(3)1/77 तारीख 15 नवम्बर, 1979 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 1979 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) उपर्युक्त नियमों का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा;—
- (क) उपर्युक्त नियमों के अधीन की गई किसी बात या की गई कार्रवाई प्रारम्भ की गई या जारी रखी गई कार्यवाही ;
- (ख) उपर्युक्त नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किया गया आदेश या बनाए गए/ जारी किए गए विनियम और की गई किसी ऐसी नियुक्ति, किया गया आदेश या बनाए गए/ जारी किए गए विनियम जहां तक कि ये इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, इन नियमों के उपबंधों के अधीन किए गए/जारी किए गए या दिए गए समझे जाएंगे जब तक कि इन नियमों के अधीन की गई निजी नियुक्ति, दिए गए आदेश या बनाए गए/ जारी किए गए विनियम द्वारा अधिक्रान्त न कर दिए गए हों ।

**प्ररूप एफ एस एच- I
(नियम 5 और अनुसूची देखें)**

प्ररूप संख्या-----
अनुज्ञप्ति संख्या-----

हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र नियम, 2020 के अधीन इस अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को मछली पकड़ने की ----- क्रिया विधि सहित-----जल क्षेत्र में नियमों की अनुसूची के अधीन----- तारीख से-----अवधि के लिए मछली पकड़ने की एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

व्यक्ति का नाम और पता-----

संदत की गई फीस या फीस समायोजन बिल के माध्यम से समायोजित की गई फीस रुपए----- (-----रुपए)
संदाय की तारीख----- निदेशक या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी

शर्तें जिनके अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है:-

1. अनुज्ञप्ति धारक किसी भी मछली को ना तो पकड़ेगा न ही उसे मारेगा ना ही उसका विक्रय करेगा यदि मछली की निम्नलिखित जातियां प्रत्येक के सामने दर्शाई गई लम्बाई से कम है।

क	महासीर (टोर प्यूटीटोरा)	50 सेंटी मीटर
ख	ट्राऊट (सालमो ट्रूटा फारियों और ऑकोरिंकस मायकिस)	40 सेंटी मीटर
ग	कॉमन कार्प (साइप्रीनस कारपीओं)	30 सेंटी मीटर
घ	थिला (कतला कतला)	45 सेंटी मीटर
ङ	रोहू (लेबिओ रोहिता)	40 सेटी मीटर
च	मोरी (सरिहीना म्रीगाला)	30 सेंटी मीटर
छ	सिलवर कार्प (हाइपोपथेलमीक्थीस मोलीट्रीक्स)	45 सेंटी मीटर
ज	ग्रास कार्प (टेनोफारीनगॉडॉन इडेलस)	45 सेंटी मीटर
झ	गुगली और सलोह (सीइजोथोरेक्स प्लाजीओस्टोमस)	40 सेंटी मीटर
ञ	सिंधारा (मीस्टस सिंधाला)	30 सेंटी मीटर

उपरोक्त दर्शाए गए आकार से कम (छोटी) पकड़ी गई मछली को अनुज्ञप्ति धारक द्वारा वापस जलक्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।

2. बंदूक, भाले, धनुष और बाण या उस प्रकार के अन्य उपकरणों या व्यवसायिक बहिस्त्राव द्वारा जल प्रदूषण से या फाई, झटके के उपयोग या कोई अन्य क्रियाविधि से जो नियमों में परिभाषित नहीं है, द्वारा मछली का विनाश करने या उसका नाश करने के प्रयास को प्रतिषिद्ध किया जाता है।

3. अनुज्ञप्ति धारक किसी भी व्यक्ति को उसके मछली पकड़ने के उपस्कर के साथ मदद करने के लिए तब तक नहीं लगाएगा या नियोजित नहीं करेगा जब तक कि ऐसा नियोजित व्यक्ति भी अनुज्ञप्ति धारक न हो ।
4. अनुज्ञप्ति धारक द्वारा किसी भी पुल से सौ मीटर के भीतर नदी और नालों से मछली पकड़ने के लिए रॉड या लाइन के सिवाए किसी अन्य उपस्कर का उपयोग नहीं किया जाएगा ।
5. प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारक हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 8 के अधीन सशक्त किसी भी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति दिखाने के लिए आवद्धकर होगा ।
6. अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं होगी ।
7. अनुज्ञप्ति धारक उपायुक्त या किसी भी मत्स्य अधिकारी या पुलिस अधिकारी को, नियमों का कोई भंग होने पर, जो उसके नोटिस (सूचना) में आता है, रिपोर्ट करने के लिए आवद्धकर है ।
8. हिमाचल प्रदेश मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 3 (1) के अधीन अधिसूचित किसी भी नियम द्वारा मछली पकड़ने के लिए बन्द किसी जलक्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है और अनुसूची शर्तों में मछली पकड़ना बंद है, वर्णित है ।
9. प्रत्येक वर्ष कोई भी व्यक्ति एक नवंबर से फरवरी के अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान कोई ट्राऊट मछली नहीं पकड़ेगा। अनुज्ञप्ति धारक एक दिन में चार से अधिक ट्राऊट मछली नहीं पकड़ेगा ।
10. ट्राऊट मछली पकड़ने वाला अनुज्ञप्ति धारक निम्नलिखित आरूप भरेगा और अनुज्ञप्ति के अवसान पर उसे निदेशक एवं मत्स्य प्रारक्षी को वापस करेगा ।

तारीख	नदी / नाले / तालाब / या स्थान	पकड़े गए का विवरण		
		पकड़े गई ट्राऊट की संख्या	पकड़े गई ट्राऊट का वजन	टिप्पणी

एफ एस एच-2
(नियम 13(3) देखें)

हिमाचल प्रदेश सरकार
"मत्स्यपालन विभाग"

फीस समायोजन बिल

बही संख्या-----बिल संख्या-----

मत्स्य अवतरण केन्द्र का नाम-----

तारीख-----मत्स्य सहकारी सभा

का नाम-----

पकड़ी गई मछलियों का विवरण :

मछली का प्रकार (किस्म)			कुल
भार			
फीस की दर			
फीस रकम			
अतिशेष फीस			
आज जमा की गई फीस			
कुल			

चालान संख्या----- तारीख----- जिसके द्वारा रॉयल्टी खजाना
(ट्रेजरी) में जमा की गई।

अतिशेष फीस की कुल रकम

आज की फीस समायोजन

आज की फीस समायोजन के पश्चात् अतिशेष फीस ।

संविदाकार (ठेकेदार) या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	सोसायटी (सभा) के अध्यक्ष या उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	मछली का वजन करने वाले कर्मचारियों के हस्ताक्षर	पदनाम सहित केन्द्र के प्रभारी के हस्ताक्षर
नियुक्त अभिकरण			

एफ एस एच-3
(नियम 10(4)(ख) देखें)
हिमाचल प्रदेश सरकार
“मत्स्यपालन विभाग”

पास

बही संख्या-----पास संख्या-----
फीस समायोजन बिल संख्या के सन्दर्भ में -----तारीख
-----श्री / श्रीमति / कु0-----
निवासी-----को-----से -----तक के
माध्यम से मछली का वजन-----एतद्द्वारा हस्तांतरण करने की अनुज्ञा दी जाती है।

मछली का विवरण नीचे दिया गया है:-

मछली की किस्म	कुल संख्या	कुल प्रभार
(i)		
(ii)		
(iii)		
(iv)		
मछलियों की कुल संख्या ----- कुल भार		

पद नाम सहित
मत्स्य अवतरण केन्द्र के प्रभारी के हस्ताक्षर

अनुसूची
अनुज्ञप्तियों का वर्गीकरण(नियम 3,4,5(2)(4), 6 और 8 देखें)

क्र०सं०	जल का प्रकार (नियम 3 देखें)	अनुज्ञात मछली पकड़ने की विधि (नियम 4 देखें)	अनुज्ञप्ति की वैधता (नियम 6 और 8)		अनुज्ञप्ति फीस (नियम 5 देखें)	बंद सीजन (नियम 8(1)देखें)	मछली पकड़ने के लिए बंद क्षेत्र (नियम 8(2) देखें)
			अवधि	अधिकारिता			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साधारण जल क्षेत्र नियम 3(क) (i) से (vii) के अनुसार	बंसी और डोरी और हैंड लाइन (ii) कास्ट नेट (iii) चिप्स (iv) बारपटा	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर वार्षिक वार्षिक 1 सितंबर से 30 नवम्बर तक वार्षिक 1 सितंबर से 30 नवम्बर तक	दैनिक अनुज्ञप्ति जल धारा बार है और साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति पूर्ण राज्य के लिए है। जिला जिला कांगड़ा का विनिर्दिष्ट क्षेत्र जिला कांगड़ा का विनिर्दिष्ट क्षेत्र	100/- रूपए दैनिक या 600/- रूपए साप्ताहिक या 2400/- रूपए मासिक या 11000/- रूपए वार्षिक। 200/- रूपए 2000/- रूपए 2000/- रूपए	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करके) प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करके) प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनों दिनों को सम्मिलित करके। प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक (दोनों दिनों को सम्मिलित करके)	(क) कांगड़ा जिला (i) पालमपुर तहसील में मछियाली नदी के प्रारम्भ से या इसमें हुल्कू नाला संगम तक। (ii) पठानकोट मण्डी सड़क पर पालमपुर तहसील में पुन्न खड्ड पुल से दो सौ मीटर ऊपर और नीचे। (iii) कांगड़ा तहसील में कौली खड्ड की संधार आल के पहले से नारटी मछयाल (टीका मल) और मछयाल के ऊपरी नालें और चो जो सड़क से मिलते हैं। (iv) कांगड़ा जिला में जुगल खड्ड में सपतैल आल से मामटा मछयाल तक। (v) शवदाह मैदान के नजदीक से कालाश्वर स्थित काली नाथ मंदिर तक व्यास नदी के दोनों तटों पर 150 मीटर (50 मीटर ऊपर और 100 मीटर नीचे की तरफ)। (vi) रालियां दी आल और कांगड़ा तहसील के गांव जदरांगल, टीका पधर में खसरा संख्या 111/1(17 कनाल 11 मरला भाग) में इसके आसपास का क्षेत्र। (vii) कांगड़ा टाण्डा सड़क पर कांगड़ा मंडी रेलवे स्टेशन के नजदीक झूला पुल से 50 मीटर ऊपर और 100 मीटर नीचे। (viii) चोबू आल से मोहाल भारुंह मौजा

							<p>मुंडी तहसील धीरा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में खसरा संख्या 963, 02-86-27 हैक्टियर क्षेत्र में अवस्थित न्युगल खड्ड भेडू महादेव मंदिर के पास भेडू आल तक ।</p> <p>(ख) ऊना जिला ऊना जिला में भनौर गांव के नजदीक पंज घराटला पुल से घराटों के ऊपर की तरफ राघवा वैली तक ।</p> <p>(ग) कुल्लू जिला (1) कुल्लू जिला के साधारण जलक्षेत्रों में मोहल खड्ड । (II) कुल्लू जिला के ट्राऊट जलक्षेत्र में सिरिर खड्ड ।</p> <p>(घ) मण्डी जिला (I) सिख गुरुद्वारा पड्डल से इसके सुकेती नाला संगम तक ब्यास नदी । (II) मण्डी शहर में सुकेती पुल से इसके ब्यास नदी संगम तक सुकेती नाला । (III) गांव मनोह से गांव भराडू तक राणा खड्ड ।</p> <p>(IV) रिवालसर झील</p> <p>(इ) सिरमौर जिला (I) रेणुका झील</p>
2	ट्राऊट जल क्षेत्र नियम 3(ख) (i) से (x)के अनुसार	कृत्रिम चारा (स्पून और फलाई दोनों)।	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर।	जल क्षेत्र के अनुसार दैनिक अनुज्ञप्ति और सम्पूर्ण राज्य के लिए साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति	300/- रूपए दैनिक या 1800/- रूपए साप्ताहिक या 7200/- रूपए मासिक या 33000/- रूपए वार्षिक	प्रत्येक वर्ष पहली नवम्बर से फरवरी के अन्त तक ।	---
3	गोविन्द सागर नियम 3(ग)(i) के अनुसार	(I) 80 मीटर लंबा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर (गांठ से गांठ तक) जलास्र के साथ 5 से 8 मीटर गहरे आकार का गिल जाल (नेट)	प्रथम अप्रैल या जारी करने की तारीख से 31 मार्च तक।	हल्का बार (बीट बार)	100/- रूपए जमा मत्स्य सहकारी सभा द्वारा अवतरण केन्द्र पर मछली के विक्रय आगम का 15 प्रतिशत ।	दोनों दिनों सहित प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक ।	बांध स्थल से 1.5 किलो मीटर ऊपर की ओर ।

		(ii) बंसी और डोरी	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर	दैनिक अनुज्ञप्ति बीट बार है और सम्पूर्ण जलाशय के लिए साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति	100/- रूपए दैनिक 600/- रूपए साप्ताहिक या 2400/- रूपए मासिक या 11000/- रूपए वार्षिक	दोनो दिनों सहित प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक ।	
4	पौंग जलाशय नियम 3(ग)(ii) के अनुसार	(i) 8 मीटर लंबा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर (गांठ से गांठ तक) जलान्ध्र के साथ 5 से 8 मीटर गहरे आकार का गिल जाल जाल	प्रथम अप्रैल या जारी करने की तारीख से 31 मार्च तक।	हल्का बार (बीट बार)	100/- रूपए जमा मत्स्य सहकारी सभा द्वारा अवतरण केन्द्र पर मछली के विक्रय आगम का 15 प्रतिशत ।	दोनो दिनों सहित प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक ।	बांध स्थल से 1.5 किलो मीटर ऊपर की ओर ।
		(ii) बंसी और डोरी	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर	दैनिक अनुज्ञप्ति बीट बार है और साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण जलाशय के लिए है ।	100/- रूपए दैनिक 600/- रूपए साप्ताहिक या 2400/- रूपए मासिक या 11000/- रूपए वार्षिक	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	
5	पण्डोह जलाशय नियम 3(ग)(iii) के अनुसार	बंसी और डोरी, कृत्रिम बेट (चारा) (स्पून और पलाई दोनो)।	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण जलाशय के लिए है ।	100/- रूपए दैनिक 600/- रूपए साप्ताहिक या 2400/- रूपए मासिक या 11000/- रूपए वार्षिक	प्रत्येक वर्ष प्रथम नवम्बर से फरवरी के अन्त तक ।	
6	चमेरा जलाशय नियम 3(ग)(iv) के अनुसार	(i) 80 मीटर लंबा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर (गांठ से गांठ तक) जलान्ध्र के साथ 5 से 8 मीटर गहरे आकार का गिल जाल जाल	प्रथम अप्रैल या जारी करने की तारीख से 31 मार्च तक।	हल्का बार (बीट बार)	100/- रूपए जमा मत्स्य सहकारी सभा द्वारा अवतरण केन्द्र पर मछली के विक्रय आगम का 15 प्रतिशत ।	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	
		(ii) बंसी और डोरी	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर	दैनिक अनुज्ञप्ति हल्का बार है और साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति सम्पूर्ण जलाशय के लिए है ।	100/- रूपए दैनिक 600/- रूपए साप्ताहिक या 2400/- रूपए मासिक या 11000/- रूपए वार्षिक	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	
7	रणजीत सागर नियम 3(ग)(V) के अनुसार	(i) 80 मीटर लंबा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर (गांठ से गांठ तक) जलान्ध्र के साथ 5 से 8 मीटर गहरे आकार का गिल जाल ।	प्रथम अप्रैल या जारी करने की तारीख से 31 मार्च तक।	हल्का बार (बीट बार)	100/- रूपए जमा मत्स्य सहकारी सभा द्वारा अवतरण केन्द्र पर मछली के विक्रय आगम का 15 प्रतिशत ।	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	
		(ii) बंसी और डोरी	दैनिक या साप्ताहिक या	दैनिक अनुज्ञप्ति हल्का बार	100/- रूपए दैनिक	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15	

			मासिक या वार्षिक आधार पर	है और साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश में आने वाले सम्पूर्ण जलाशय के लिए है ।	600/- रुपये साप्ताहिक या 2400/- रुपये मासिक या 11000/- रुपये वार्षिक	अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	
8	कोल डैम नियम 3(ग)(vi) के अनुसार	(i) 80 मीटर लंबा और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर (गांठ से गांठ तक) जलान्ध के साथ 5 से 8 मीटर गहरे आकार का गिल जाल ।	प्रथम अप्रैल या जारी करने की तारीख से 31 मार्च तक ।	हल्का बार (बीट बार)	100/- रुपये जमा मत्स्य सहकारी सभा द्वारा अवतरण केन्द्र पर मछली के विक्रय आगम का 15 प्रतिशत ।	दोनो दिनों सहित प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक ।	
		(ii) बंसी और डोरी	दैनिक या साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक आधार पर	दैनिक अनुज्ञप्ति हल्का बार है और साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक अनुज्ञप्ति हिमाचल प्रदेश में आने वाले सम्पूर्ण जलाशय के लिए है ।	100/- रुपये दैनिक 600/- रुपये साप्ताहिक या 2400/- रुपये मासिक या 11000/- रुपये वार्षिक	प्रत्येक वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक दोनो दिनों सहित ।	

नोट: मछली पकड़ने की अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा जारी किए जाने वाले पुनरीक्षण के अनुसार क्रियान्वित होगा ।

आदेश द्वारा,

(संजय गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकित संख्या: फिश-ए(3)-2/2015-III तारीख शिमला-2 मई, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

- 1 निदेशक-एवं-प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर-174001,
- 2 अतिरिक्त विधि परामर्शी-एवं-अतिरिक्त सचिव (विधि), हि0प्र0 सरकार, शिमला-2 ।
- 3 उप निदेशक मत्स्य (मु0), निदेशालय मत्स्यपालन, बिलासपुर -174001.
- 4 उप निदेशक मत्स्य, ट्राऊट फार्म पतलीकुहल, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश ।
- 5 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश ।
- 6 नियंत्रक मुद्रण एवं लेखन हिमाचल प्रदेश शिमला को कृपया राजपत्र में छापने हेतु ।

(उर्मिला गुप्ता)
उप सचिव (मत्स्यपालन),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।